न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–46/2022(जीसीएमएस नम्बर 2022/150)

1. रूकमणी पत्नि रामगोपाल जाति मीना, निवासी ग्राम निजामपुरा तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा।

––अपीलान्ट

बनाम

1. शारदा पत्नि मोहरसिंह, जाति मीना निवासी गोविन्द नगर खातीपुरा, गांधी नगर सेक्टर–4 जयपुर, राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–
1. श्री उमेश गौड एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री आलौक चौधरी एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

निर्णय

दिनांक 06.02.2024

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.01.2021 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट आराजी खसरा नम्बर 371/2 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा की रिकार्डेड खातेदार है जो खसरा नम्बर 371/2 पर काबिज होकर लाभान्वित होती चली आ रही है। अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि की सीमा पर खसरा नम्बर 382 गै0मु0 रास्ता है जिससे लगती हुई अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 371/2 वाके ग्राम बिडोली तहसील रामगढ पचवारा में स्थित है तथा खसरा नम्बर 384/2 वाके ग्राम बिडोली खसरा नम्बर 382 गै0मु0 सड़क के बाद स्थित है। इस प्रकार अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि के मध्य खसरा नम्बर 382 गै0मु0 रास्ता के मध्य स्थित है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने तहसीलदार पटवारी हल्का से साज कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.01.2021 की आड में अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 371/2 पर दिनांक 20.05.2022 को गलत प्रकार से पत्थर गाड़ने की कुचेष्टा की गई जिस पर अपीलान्ट द्वारा जानकारी करने पर अधीनस्थ न्यायालय के यहॉ निर्णय दिनांक 29.01.2021 की नकल प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अपीलान्ट को दिनांक 23.05.2022 को नकल प्राप्त हुई। जिसके पश्चात् कानूनी सलाह प्राप्त कर उक्त अपील जानकारी की दिनांक से न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। यदि अपील पेश करने में देरी मानी जावें तो अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अपील के साथ अलग से पेश किया गया है, जो स्वीकार फरमाया जावें।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट प्रकरण में एग्रिव्ड परसन है जिसे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जानबुझकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही बनाया एवं निर्णय दिनांक 29.01.2021 अपीलान्ट के पीठ पीछे पारित करवाया है जिससे अपीलान्ट पीड़ित पक्षकार है। ऐसे में अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. भी स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.01.2021 विधिक प्रक्रिया एवं न्यायिक सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्तनीय है क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा तहसीलदार रामगढ पचवारा के खिलाफ पत्थरगढ़ी करवाये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पुलिस इमदाद से पत्थरगढ़ी करवाने की इस्तदुआ अधीनस्थ न्यायालय से चाही गई थी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र के तथ्यों पर बिना गौर किये एवं अपने विवेक का सम्यक उपयोग किये बिना कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थी को अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट तहसीलदार के विरूद्ध पुलिस इमदाद की आवश्यकता क्यों है। जबकि रेस्पोडेन्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार के अलावा अन्य किसी निजी व्यक्ति को पक्षकार ही नही बनाया गया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर बिना ध्यान फरमाये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.01.2021 पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध एवं विधिक प्रक्रिओं के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील के समस्थ तथ्यों के मद्देनजर अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.01.2021 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 384/1 रकबा 2 बीघा भूमि वाके ग्राम बिडोली तहसील रामगढ पचवारा में स्थित है जिसकी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रिकार्डेड तन्हा खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि से अन्य किसी को कोई सरोकार, वास्ता नही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपनी आराजी की पत्थरगढी करवाई गई जिससे अपीलार्थीयॉ को कोई नुकसान नही है। इसलिये उनको पत्थरगढ़ी से कोई आपत्ति नही होनी चाहिये। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजी का सीमाज्ञान दिनांक 25.06.2020 को हो चुका है जिसके आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.01.2021 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम व शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है एवं अपीलार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. भी

स्वीकार किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलार्थी को बिना पक्षकार बनाये दिनांक 12.01.2021 को प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय को पेश किया गया जो दिनांक 18.01.2021 को दर्ज रजिस्टर किया गया है और प्रकरण में तहसीलदार से बिना कोई रिपोर्ट प्राप्त किये ही अपने आदेश में सीमाज्ञान दिनांक 25.06.2000 का हवाला देकर जल्दीबाजी में अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.01.2021 को पारित किया गया है। जिससे स्पष्ट हो जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का बिना परीक्षण किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.01.2021 पारित किया गया है, जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.01.2021 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा जिला दौसा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(असलम शेर खान)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।